मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/I/1118318/2026/26-2 भोपाल, दिनांक 25-06-2026

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

2. समस्त संयुक्त आयुक्त/उप संचालक
   सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
   मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 2013 (यथा संशोधित नियम, 2020 एवं 2024) के प्रावधानों के अनुसार निराश्रित निधि की ब्याज एवं मूलधन राशि से जिला स्तर पर व्यय किए जाने संबंधी निर्देश।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक-599/1387282/2023/26-2, दिनांक 26-03-2024, पत्र क्रमांक 789/2006562/2024/26-2 दिनांक 13-05-2024, पत्र क्रमांक/I/500785/2025/26-2 दिनांक 19-09-2025, पत्र क्रमांक I/850/177/2026/26-2 दिनांक 27-02-2026 तथा संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण भोपाल का पत्र क्रमांक 2025/26-2 I/278360/2025/26-2, दिनांक 27/05/2025, पत्र क्रमांक 529858/I/422705/2025, दिनांक 07/08/2025

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से निराश्रित निधि की ब्याज/मूलधन राशि से जिला स्तर पर व्यय किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

2/ संचालनालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिला स्तर पर निराश्रित निधि से किए जाने वाले व्ययों हेतु ब्याज एवं मूलधन राशि के उपयोग के लिए वार्षिक सीमा (Annual Cap) निर्धारित की जाती है। मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 यथासंशोधित नियम 2020 के नियम 12 (1) अंतर्गत- नियम 11 के प्रयोजन के लिए संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विहित भुगतान प्रक्रिया के अनुसार निराश्रित निधि में से एक बार में या एक माह के भीतर रूपये 25 हजार एवं पूरे वित्तीय वर्ष में अधिकतम रूपये 2.50 लाख की सीमा तक ब्याज की रकम का उपयोग कर सकेगा, तथा नियम 12(2) अनुसार कलेक्टर नियम 11 के प्रयोजन के लिए किसी एकल संस्था / अभिकरण के प्रबंधन या कार्य के प्रयोजन के लिए निराश्रित निधि की जमा पर अर्जित ब्याज की रकम से एक बार में रूपये 2.00 लाख की सीमा तक विहित प्रक्रिया अनुसार निराश्रित निधि ई-भुगतान प्रबंधन प्रणाली के माध्यम

से कर सकेगा। उक्त रकम से अधिक के विहित खर्च/आहरण के लिए प्रस्ताव, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण की लिखित सहमति प्राप्त होने के पश्चात ही मंजूर किया जा सकेगा, प्रावधानित है। उक्त के अतिरिक्त मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम **2019-20** के संशोधन **17** दिसम्बर **2024** अंतर्गत उक्त नियमों में, नियम **6(2)** के पश्चात परन्तुक जोड़ा जाकर जिला कलेक्टर को निराश्रित निधि की मूलधन/ब्याज की राशि से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के पूर्ण वित्तीय अधिकार अर्थात् वह रूपये **2.00** लाख की सीमा से अधिक राशि को भी केवल इस योजना के लिए निराश्रित निधि ई-पेमेंट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खर्च/आहरण कर सकेंगा, प्रावधानित है। इनके अतिरिक्त मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के आदेश दिनांक **20/06/2013** के साथ संलग्न योजना की कंडिका वित्तीय व्यवस्था अंतर्गत उक्त योजनांतर्गत भुगतान निराश्रित निधि की ब्याज राशि से किये जाने संबंधी, प्रावधान है।

3/ उपरोक्तानुसार प्रावधानों के उपरांत भी अनेक प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि विभागांतर्गत जिला स्तर पर संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों, वरिष्ठ आश्रमों, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह योजना तथा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना इत्यादि के निराश्रित निधि से निर्धारित अनुदान/भुगतान/लाभ संबंधित संस्थाओं/अंत:वासियों/हितग्राहियों को यथा-समय प्राप्त नहीं हो पाते हैं तथा योजनांतर्गत जिले को आवंटित निराश्रित निधि की ब्याज राशि से भी भुगतान के अधिकार होने पर भी निराश्रित निधि के मूलधन से या कई माहों के भुगतान लंबित रखे जाकर एक साथ ईपीओ तैयार किये जाकर संचालनालय को प्रेषित किये जाते हैं, जबकि जिलों में पर्याप्त आवंटित ब्याज राशि उपलब्ध रहती है। उक्त स्थिति से उक्त संस्थाओं/योजनाओं अंतर्गत् अनुदान/लाभ प्रदाय किये जाने में अत्यंत ही विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है।

4/ अत: उपरोक्त के दृष्टिगत संदर्भित पत्रों द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि समस्त जिला कलेक्टर एवं समस्त संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम **2013** यथासंशोधित नियम **2020** एवं **2024** तथा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के प्रावधान अनुसार जिलों को आवंटित निराश्रित निधि की ब्याज अंतर्गत स्वीकृति/व्यय के संबंध में प्रदत्त अधिकारों/ प्रक्रिया का उपयोग करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:-

A. जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के कर्मचारियों को निर्धारित मासिक मानदेय/वेतन का भुगतान एवं अन्य आकस्मिक व्यय (स्टेशनरी, जलकर, दूरभाष, इन्टरनेट एवं विद्युत मद इत्यादि पर होने वाले व्यय) संबंधी भुगतान।

B. विभागीय बजट अंतर्गत संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध न होने पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के लिये कृत्रिम अंग (कृत्रिम हाथ एवं पैर) के निर्माण हेतु कच्चे माल की सामग्री क्रय एवं कृत्रिम अंगों की मरम्मत एवं फिटिंग/फिटमेंट कार्य हेतु सामग्री क्रय संबंधी भुगतान।

C. दिव्यांगजन/वरिष्ठजन हेतु संचालित, निराश्रित निधि से पूर्व से अनुदान एवं विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं/वृद्धाश्रमों को निर्धारित मासिक अनुदान संबंधी भुगतान।

D. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह योजनांतर्गत निर्धारित हितलाभ संबंधी भुगतान।

E. मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजनांतर्गत निर्धारित हितलाभ संबंधी भुगतान।

F. मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम **2013** यथासंशोधित नियम **2020** के नियम **11** के प्रयोजनार्थ अन्य कार्य संबंधी भुगतान।

5/ उपरोक्त बिन्दु **A** से **F** तक नियमानुसार स्वीकृति/ भुगतान की कार्यवाही जिला स्तर पर जिले को आवंटित निराश्रित निधि की ब्याज की राशि से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाये। यदि राशि रूपये **2.00** लाख से अधिक हो, तो जिला स्तर पर ही निर्धारित मद अनुसार पृथक-पृथक ई.पी.ओ. ब्याज राशि से बनाकर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान जिला स्तर से ही किया जाये। ब्याज अंतर्गत कैप उपलब्ध न होने पर ही मूलधन से उक्त निराश्रित निधि नियम/ योजना के प्रावधान अनुसार स्वीकृति/भुगतान किया जाये/ स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किये जायें।

6/ बिंदु **(A)** एवं **(C)** के अंतर्गत उल्लेखित अशासकीय संस्थाओं के अनुदान प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय-सीमा में भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रेषित किए जाना सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार से अनुदान स्वीकृत होने के उपरांत निराश्रित निधि से पूर्व में प्रदत्त अनुदान की समस्त राशि संबंधित सस्था द्वारा राज्य स्तरीय निराश्रित निधि बैंक खाते में अनिवार्य रूप से जमा कराई जाये।

यह निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। उक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

Digitally signed by
Jagannath Jatav
Date: 25-06-2026
16:21:49

(जगन्नाथ जाटव)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पृ.क्रमांक/I/1118318/2026/26-2 भोपाल, दिनांक **25-06-2026**

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त,सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, (निराश्रित निधि) एन.आई.सी.सतपुडा भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग